कार्यालय पुलिस अधीक्षक खीरी।

पत्र संख्याः व–02/2025(पु0ला0 कैण्टीन) दिनांकः मई 03 ,2025

पुलिस लाइन आदर्श मेस के बगल में जलपान कैण्टीन के संचालन हेतु निविदा सूचना

जनपद खीरी के पुलिस लाइन में **जलपान कैण्टीन के संचालन हेतु ईच्छुक फर्मो से** मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है जिसकी शर्ते निम्नवत हैं :–

1. जलपान कैन्टीन के माध्यम से **खाद्य वस्तुयें, मिष्ठान,नमकीन, दूध निर्मित सामग्री, चाय, कोल्ड्रिक्स** आदि का विक्रय किया जायेगा कैण्टीन में किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का विक्रय नही किया जायेगा।
2. कैण्टीन के संचालन हेतु सील बन्द लिफाफे में निविदा **दिनांकः 20–5–2025** को समय 12.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। प्राप्त समस्त निविदाओं को एक साथ **नामित समिति द्वारा उसी दिन अपरान्ह में निविदादाताओं के सामने खोला जायेगा।**
3. उक्त कार्य हेतु निविदा फार्म पुलिस कार्यालय में उपरोक्त निर्धारित तिथि से 01 दिवस पूर्व तक (अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्राप्त किये जा सकते है, जिसके लिए रू0 50/– प्रति फार्म की दर से शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा के साथ रू0 1000/– मूल्य का **एफडीआर जो पुलिस अधीक्षक खीरी के नाम बन्धक हो, अर्नेस्ट मनी के रूप में** संलग्न करना होगा। जिस टेण्डर के साथ अर्नेस्ट मनी संलग्न नहीं होगा, उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. जिस ठेकेदार/व्यक्ति की निविदा स्वीकार की जायेगी उसे तत्काल रू0 100/– के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र भरना होगा। कैण्टीन संचालन हेतु कार्यादेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर जमानत धनराशि के रूप में **रू0 20,000/– मूल्य का एफडीआर जो पुलिस अधीक्षक खीरी के नाम बन्धक हो, अंकिक के पास जमा करना होगा।**
5. ऐसे ठेकेदार जिसे पुलिस/पीएसी में कम से कम 03 (तीन) वर्ष तक कैन्टीन चलाने का अनुभव होगा, उन्हे वरीयता दी ज सकती है, जिसका प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
6. कैन्टीन ठेके पर देने के पूर्व अथवा बाद में जानकारी होने पर कि ठेकेदार का आचरण/व्यवहार उचित नही है या वह स्वयं किसी अपराधी या नियम विरूद्ध कार्य में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त पाया गया है तो संतुष्ट होने पर बिना कारण बताये निविदा निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
7. ठेकेदार को नियमानुसार कैण्टीन भवन के बिजली का बिल स्वयं जमा करना होगा तथा कैण्टीन भवन व उसके आस–पास साफ–सफाई रखनी होगी।
8. कैण्टीन के अधिकतम किराये की दर के आधार पर निविदा की प्रतिस्पर्धा होगी।
9. कैण्टीन के किराये की धनराशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक ठेकेदार द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। विलम्ब से किराया जमा करने पर रू0 05.00 प्रति दिन की दर से जुर्माना लिया जायेगा।
10. ठेकेदार कैन्टीन की सफाई एवं स्वच्छता आदि का ध्यान रखेगा। कैन्टीन के आस पास कोई निर्माण कार्य अथवा कैन्टीन कक्ष में कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगा।
11. कैन्टीन में कोई भी नशीली वस्तु, तस्करी का सामान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुयें नही बेची जायेगी।
12. आवश्यकता होने पर किसी भी समय 01 (एक) माह की नोटिस देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा, जिसका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
13. कैन्टीन में कोई अवयस्क अथवा रोग ग्रस्त व्यक्ति नही रखा जायेगा।
14. ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह वस्तुओ के मूल्य की एक सूची ऐसे स्थान पर कैन्टीन में लगायें जहॉ पर सभी लोग सुगमता से पढ़कर वस्तुओ की मूल्य की जानकारी प्राप्त कर सकें।
15. कैण्टीन में कोई सामान बाजार भाव से अधिक मूल्य पर नही बेचा जायेगा।

15. ठेकेदार पुलिस विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी को उधार बिक्री नहीं करेंगे तथा किसी भी उधारी की वसूली का दायित्व विभाग का नहीं होगा।

16 ठेकेदार कैन्टीन का ठेका किसी अन्य व्यक्ति को नही देगा तथा कैन्टीन में अपराधिक प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति नही रखेगा।

17. ठेकेदार द्वारा यदि विभागीय नियमों का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही के साथ ही आर्थिक दण्ड भी अधिरोपित किया जायेगा, जिससे सम्बन्धित कोई दावा मान्य नहीं होगा।

पुलिस अधीक्षक,
खीरी।

संख्या व दिनांक वही

प्रतिलिपिः–

1– पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, कम्प्यूटर केन्द्र जवाहर भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा का प्रकाशन पुलिस की वेबसाइट पर कराने का कष्ट करें।

2– निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस निविदा को प्रान्तीय/स्थानीय स्तर के दैनिक हिन्दी समाचारपत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

3– जिला उद्योग अधिकारी जनपद खीरी/मण्डलीय उद्योग निदेशालय लखनऊ मण्डल लखनऊ।

4– जिलाधिकारी खीरी को निविदा के बृहद प्रचार प्रसार व कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

5– अपर पुलिस अधीक्षक/समस्त क्षेत्राधिकारी/समस्त थाना प्रभारी/समस्त शाखा प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा का व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

6– समस्त कार्यालयाध्यक्ष जनपद खीरी को निविदा के प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित है।

पुलिस अधीक्षक,
खीरी।